

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 568/2025

मोहम्मद सलाम पुत्र हनीफ पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम

अल्ताहबक्श पुत्र हनीफ पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
वानी बीबी पुत्री हनीफ पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
सलीम पुत्र मुनीरा पत्नी मुराद अली पुत्री हनीफ जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया
मोह. रमजान पुत्र मुनीरा पत्नी मुराद अली पुत्री हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़
कुरसेदा पत्नी जिकरदीन पुत्री मुनीरा पुत्री हनीफ जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला
हनुमानगढ़
इस्मा पत्नी सखी मोहम्मद पुत्री मुनीरा पुत्री हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद चक लबाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
सहीदा बीबी पत्नी मोह. सलाम पुत्री मुनीरा पुत्री हनीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
हासीमल पुत्र गोपाल दास जाति सिन्धी निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (रा
तहसीलदार राजस्व संगरियातहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते
इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरविन्द
सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी
जाकर तहसीलदार संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण में वर्णित रजिस्ट्री से संबंधित आपके
यहाँ वादी या किसी अन्य की ओर से रजिस्ट्री अनुसार इत्तकाल दर्ज करने का प्रकरण पेश हुआ या नहीं? यदि
प्रकरण पेश हुआ है तो उसमें क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो लम्बित का क्या
कारण रहा है और कब्जा संबंधी कोई विवाद/स्थगन/ऋण आदि तो नहीं है की जांच करते हुए चक 7
एमएमके खाता संख्या 134/93 खाता हासीमल ज.स. 2070-73 में प्रतिवादी संख्या 8 हासीमल पुत्र गोपालदास
के नाम दर्ज आराजी का वादी मोहम्मद सलाम पुत्र हनीफ पुत्र रमजान को खातेदार काश्तकार घोषित कर
इनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 8 का मुताबिक बैयनामा हिस्सा कम किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैयनामा इस डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.5.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

